100

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: । २०१७ पुनराविलोकन

III/पुनर्विलोकन/सीधी/भू.रा/2017/4651

श्री कु.श्री. द्विवेदी एड. द्वारा आज दि. 25-11-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 25-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ता० पेशी दिनांक 12-12-17

१- शिवबहोर पुत्र भीमसेन राय
२- लालजी | पुत्रगण शिवबहोर राय,
३-- रामजी | निवासीगण पोंड़ी तहसील,
४- लक्ष्मण जी | कुसमी जिला सीधी-मध्यप्रदेश
५- श्याम जी |
६- गोपाल जी ||

------ प्रार्थीगण

बिरुध्द

१- तिलकराज सिंह गोंड़ | पुत्रगण रणबहादुर
२- धर्मराज सिंह | सिंह
३- गोरीदीन पुत्र संतानंदराम
४- सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र रामपतिराम
५- सच्चिदानंद पुत्र हीरामणि राम
६- महिला इन्दुवती पत्नी हीरामणि राय
७- महिलारामकली पत्नी शिवदीन मिश्रा,
८- पंकज कुमार | पुत्रगण शिवदीन मिश्रा
९- धीरज कुमार |
१०- कु० पूनम पुत्री शिवदीन मिश्रा
निवासीगण क्रमांक------ प्रतिप्रार्थीगण
१ एंव २ ग्राम भगवार, एंव क्रमांक ३ लगायत
१० ग्राम पोंड़ी तहसील कुसमी, जिला सीधी
(मध्यप्रदेश) ।
११- मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलैक्टर सीधी-म०प्र० ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

पुनराविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ । बिरुध्द पारित आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश (पीठासीन माननीय श्री एस०एस० अली-सदस्य), दिनांक ४-१०-१७। प्र०क्र० ४४२ तीन।०४ निगरानी ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/पुनरावलोकन/सीधी/भू.रा./2017/4651

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के प्र0क0 442–तीन/04 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4–10–17 पर से म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन में दर्शाए गए आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही मौखिक तर्को में दोहराया है, जिन पर विचार करने पर स्थिति यह है कि यह वहीं आधार हैं जिनके सम्बन्ध में प्रकरण कमांक 442–तीन/04 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 4–10–17 में विवेचना कर निष्कर्ष दिये जा चुके हैं। वादग्रस्त भूमि पर रूदन मेंही लाल पुत्रगण मेदानी गौड़/माझी का नाम अंकित होने संबंधी तर्क का प्रश्न है ? म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 265 में अनुसूचित जनजाति का विवरण अंकित है जिसके सरल कमांक 16 पर गौड एंव सरल कमांक 29 पर माझी जाति को जनजाति में सम्मिलित होना बताया है जिसके कारण आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा जाति के संबंध में बताया गया विवरण माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि कलेक्टर जिला सीधी ने आदेश दिनांक 26 मई 1997 में इस पर खसरा अंकन अनुसार विवेचना कर निष्कर्ष दिया है जो अभिलेख के आधार पर उचित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्न व्यवस्था दी गई है :– 1. **किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,**	

2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,

3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके कि आदेश दिनांक 14–9–17 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल है अथवा उनके व्दारा ऐसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय आदेश पारित करने के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो। पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधार समाधानकारक न होने से प्रकरण इसी–स्तर पर निरस्त किया जाता है।

सदस्य